(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 4528–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–9–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक निग0 707/बी–121/2008–09.

———

शशिकांत जैन तनय श्री लक्ष्मीकांत जैन
साकिन एल.आई.जी. बी–1 हाउसिंग बोर्ड
चौबे कॉलोनी, छतरपुर तहसील व
जिला छतरपुर म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन
2– श्रीमती चन्द्रा परमार पुत्री केहर सिंह
निवासी पुराना नाका छतरपुर म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री एम.पी. भटनागर, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 1.
अनावेदक कमांक – 2 एकपक्षीय.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/14 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक निग0 707/बी–121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 3.9.13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा दिनांक 27–10–1971 को 27×60 वर्गफुट का भूखंड (सर्वे नं. 1731/6 का भाग) महेन्द्र कुमार मानव से पंजीकृत विकयपत्र द्वारा कय किया गया । विकयपत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण दिनांक 7–7–1988 को स्वीकार किया । इस आंदेश के विरूद्ध अनावेदिका कमांक 2 ने एक शिकायती आवेदन कलेक्टर, छतरपुर को पेश

किया जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 16–12–01 द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 4–3–02 द्वारा खारिज की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 2–9–02 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की एवं कलेक्टर, छतरपुर तथा अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किए । राजस्व मंडल के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्र. 2 ने माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका क्रमांक 6009/02 पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 5–3–03 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण कलेक्टर, छतरपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि आवेदक की उपस्थिति में नए सिरे से प्रश्नाधीन भूमि की माप करायी जाये तथा आवेदक द्वारा द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने और भूमि के माप पर आपत्ति की जाये तो उन पर विचार कर प्रकरण का निराकरण तीन माह में किया जाये ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सागर द्वारा पुनः सुनवाई की गई एवं आदेश दिनांक 25–6–03 को पारित किया गया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि आवेदक द्वारा जो वाउन्ड्री वाल बनाई गई है वह सर्वे नं. 1731/6 का हिस्सा नहीं है और उन्होंने उसे सर्वे नं. 1731/1 का हिस्सा मानते हुए आवेदक द्वाराउस पर अतिक्रमण किया जाना माना गया और उन्होंने तहसीलदार को आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 22–3–07 द्वारा स्वीकार की एवं तथा कलेक्टर का 25–6–03 का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे नक्शा ट्रेस जो तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है उसका सूक्ष्म परीक्षण करें एवं पुनः सीमांकन में आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए किया जाये ।

अपर आयुक्त के उक्त आदेश के परिप्रक्ष्य में कार्यवाही कर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 4–5–09 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 25.6.03 को आदेश पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से उसे स्थिर जाता है । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में

निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा वर्ष 1971 में पंजीकृत विक्रयपत्र से भूमिस्वामी महेन्द्र कुमार मानव से उनके सर्वे नं. 1731/6 के हिस्से की ही भूमि क्रय की गई है और तभी से उनका आधिपत्य चला आ रहा है । कर्लेक्टर द्वारा मनमाने तरीके से सीमांकन कर उनके द्वारा क्रय की गई भूमि को सर्वे नं. 1731/1 का भाग माना गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 22–3–07 द्वारा कलेक्टर का आदेश दिनांक 25–6–03 को निरस्त कर जिन निर्देशों के साथ प्रकरण उन्हें प्रत्यावर्तित किया गया था उसका पालन नहीं किया गया और ना ही सीमांकन हेतु पक्षकार को आहूत किया गया । वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन किए बिना कलेक्टर ने आदेश पारित करते हुए अपने पूर्व के आदेश को स्थिर रखा है, जिसे स्थिर रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रह गया था क्योंकि उक्त आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका था । इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने भी अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया कि किया है गोविंद शुक्ला नाम के व्यक्ति द्वारा सर्वे नं. 1731/1 के संबंध में की गई शिकायत पर तहसीलदार ने जांच कर जो रिर्पोट कलेक्टर को भेजी है उसमें 12 अतिक्रामकों के नाम हैं उसमें आवेदक का नाम नहीं है । यह सूची गोंविद प्रसाद शुक्ला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदिका आवेदक को परेशान करने के उद्धेश्य से जान बूझकर राजस्व प्रकरण को उलझा रही है । अनावेदक क. 2 द्वारा आवेदक के प्लॉट के विरूद्ध सहायत हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, छतरपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 124ए/1991 प्रस्तुत किया गया था जिसे गुणदोषों के आधार पर दिनांक 31–1–97 को निरस्त किया गया । इस निर्णय के विरूद्ध अनावेदक क. 2 ने द्वितीय अपील कमांक 101/97 पेश की जो दिनांक 24.8.99 को खारिज की जा चुकी है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क. 2 द्वारा पुनः सिविल वाद क. 32/08 अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 छतरपुर के न्यायालय में पेश किया गया था

जिसे विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 25.6.08 को निरस्त कर दिया । अनावेदक क. 2 को जब व्यवहार न्यायालयों के माध्यम से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई इसलिए वह राजस्व न्यायालयों के माध्यम से आवेदक को परेशान कर रही है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि जो सर्वे नंबर 1731/6 का भाग है को क्रय किया गया था जिस पर उसका विधिवत नामांतरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–7–88 को किया गया था । इस आदेश को कलेक्टर ने 10 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रकरण राजस्व मंडल में आया । राजस्व मंडल द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका होने पर माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के आदेश को निरस्त कर तहसीलदार को नये सिरे से प्रश्नाधीन भूमि की माप कराने एवं आवेदक द्वारा स्वमेव निगरानी में लेने के संबंध तथा नाप के संबंध में आपत्ति पेश करने पर उसका निराकरण 3 माह के अंदर किए जाने के निर्देश दिए थे । किंतु कलेक्टर द्वारा केवल नाप के बिंदु पर ही प्रकरण का निराकरण किया है । प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने के बिंदु पर कोई विचार नहीं किया है जबकि इस संबंध में स्पष्ट आपत्ति मौखिक तथा लिखित रूप में आवेदक द्वारा उनके समक्ष की गई थी । यह भी कहा गया कि कलेक्टर को तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्रकरण में विवादित भूमि निजी भूमि है तथा विक्रेता द्वारा कोई आपत्ति इस संबंध में नहीं की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीक्षक, भू–अभिलेख के पास मौके पर भूमि की नाप के दौरान कोई नक्शा नहीं था क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि ग्राम बगौता का कोई नक्शा नहीं है ऐसी स्थिति में की गई नाप पूर्णतः संदिग्ध है । अंत में यह कहा गया कि सिविल न्यायालयों के निर्णय अनावेदक क. 2 के विरूद्ध होकर आवेदक के पक्ष में है जो राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं । आवेदक ने सिविल न्यायालयों के निर्णयों को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिन पर कोई विचार नहीं किया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क. 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

6/ आवेदक अधिवक्ता एवं अनावेदक क. 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों एवं व्यवहार न्यायालयों तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों का परिशीलन किया गया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदक द्वारा दिनांक 27–10–1971 को 27×60 वर्गफुट का प्रश्नाधीन भूखंड (सर्वे नं. 1731/6 का भाग) महेन्द्र कुमार मानव से पंजीकृत विकयपत्र द्वारा कय किया गया है जिस पर उसका नामांतरण दिनांक 7–7–1988 को स्वीकार किया गया ।

7/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि यह प्रकरण अनावेदिका कमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण किए जाने संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत शिकायत पर प्रारंभ हुआ है जिस पर से प्रकरण राजस्व मंडल तक आया और राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–02 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका कमांक 6009/02 पेश हुई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5–3–03 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण कलेक्टर, छतरपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि –

> " Matter is remitted back to the Collector, Chhatarpur who shall get the measurement done afresh in presence of respondent no. 2, (वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय में आवेदक) hear the respondent no.2's objections as may be raised about the suo motu exercise as well as on the measurement. Let objections be considered and decided afresh.

माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण का निराकरण आदेश पारित करने के दिनांक से 3 माह में किये जाने के निर्देश दिये । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने दिनांक 25–6–03 को आदेश पारित कर अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदक द्वारा जो बाउन्ड्री वॉल बनाई गई है वह सर्वे नं. 1731/6 का हिस्सा नहीं है और उन्होंने उसे सर्वे नं. 1731/1 का

हिस्सा मानते हुए आवेदक द्वारा उस पर अतिक्रण किया जाना माना और तहसीलदार को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए । कलेक्टर ने अपने आदेश में अनावेदक क्रमांक 2 के मकान को भी सर्वे नंबर 1731/1 में मानते हुए उनके विरूद्ध भी संहिता की धारा 248 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार छतरपुर को दिए । कलेक्टर इस आदेश को आवेदक द्वारा चुनौती अपर आयुक्त के समक्ष दिए जाने पर अपर आयुक्त ने दिनांक 22–3–07 के द्वारा आवेदक की अपील को स्वीकार कर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर उन्हें आवश्यक निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश देते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका क्रमांक 5796/08 प्रस्तुत की गई जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 18–6–08 द्वारा निरस्त की एवं यह निर्देश दिए कि –

> " Thus, writ petition is dismissed, However, it is directe that the Collector will complete the exercise and pass fresh order after giving an opportunity of hearing the concerned parties as expeditiously as possible preferably within a period of three months from the date of receipt of copy of this order.

अपर आयुक्त के न्यायालय से प्रकरण वापिस आने पर कलेक्टर ने प्रकरण में अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा पूर्व में प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन आदि के आदेश पर ही आदेश पारित करते हुए अपने पूर्व के आदेश 25–6–03 में हस्तक्षेप की गुंजाइश न मानते हुए उसे स्थिर रखा गया । उनके आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं हैं । क्योंकि अपर आयुक्त ने जिन निर्देशों के साथ दिनांक 22–3–07 को प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया था तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18–6–08 में जो निर्देश कलेक्टर को दिए गए थे उन निर्देशों के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही नहीं की गई है और प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पारित आदेश दिनांक 25–6–03 जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया जा चुका था को स्थिर रखा गया है जो विधिसम्मत नहीं है ।

8/ जहां तक आवेदक अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि आवेदक के पक्ष में पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि सर्वे नं. 1731/6 पर तहसीलदार द्वारा किए गए नामांतरण आदेश दिनांक 7–7–1988 को स्वमेव निगरानी में लिए जाने का कोई आधार नहीं है, प्रकरण के तथ्यों, व्यवहार न्यायालयों के निर्णयों एवं आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में मानने योग्य है । माननीय माननीय उच्च न्यायालय ने विविध याचिका क्रमांक 6009/02 में पारित आदेश दिनांक 5–3–03 में कलेक्टर को यह भी निर्देश दिए गए थे कि आवेदक द्वारा आपत्ति किए जाने पर उक्त बिंदु पर भी विचार किया जाये, किंतु आवेदक द्वारा इस संबंध में आपत्ति किए जाने के उपरांत भी इस बिंदु पर कोई विवेचना नहीं की गई है । अतः प्रकरण के तथ्यों, व्यवहार न्यायालयों के निर्णयों एवं इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रकरण में विवाद निजी भूमि का है तथा विक्रेता द्वारा कोई आपत्ति विक्रय के संबंध में नहीं गई है, पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा किए गए नामांतरण आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने का कोई आधार नहीं है । अतः तहसीलदार के नामांतरण आदेश दिनांक 7–7–88 की पुष्टि करते हुए उसे यथावत रखने संबंधी आवेदक का तर्क मान्य किया जाता है ।

9/ कलेक्टर ने किस आधार पर आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि को सर्वे नं. 1731/1 का हिस्सा मानकर आवेदक को अतिक्रामक माना है, इसका कोई कारण उन्होंने अपने आदेश में नहीं दिया है । जबकि प्रकरण में यह तथ्य आया है कि विवादित भूखंड जो ग्राम बगौता में स्थित है उसका मूल नक्शा नहीं है तथा उक्त ग्राम नक्शा विहीन ग्राम है । इसकी पुष्टि अपर आयुक्त के अभिलेख के पृष्ठ 69 पर संलग्न कलेक्टर कार्यालय के पत्र दिनांक 18–8–90 से होती है जिसमें ग्राम बगौता का बंदोवस्त नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि प्रदाय किये जाने के संबंध में यह लेख किया गया है कि उनकी शाखा में बंदोवस्त नक्शा उपलब्ध नहीं है वर्तमान में ग्राम बगौता नक्शा विहीन ग्राम है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के अभिलेख के पृष्ठ 57 लगायत 67 तक तहसीलदार, छतरपुर द्वारा कलेक्टर, छतरपुर को भेजे गये पत्र दिनांक 15–4–02 की प्रति संलग्न है उसमें उन्होंने खसरा नंबर 1731 पर हुए अतिक्रमण की जानकारी का विवरण दिया है इस विवरण में जिन 12 व्यक्तियों के नाम अतिक्रमणकर्ता के रूप में दर्शाए गए हैं उनमें आवेदक का नाम नहीं है । आवेदक के अनुसार उक्त विवरण पत्रक तहसीलदार द्वारा कलेक्टर की ओर से

माननीय उच्च न्यायालय में गोविंद शुक्ला द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है, इस कारण भी उनके आदेश निरस्ती योग्य हैं ।

10/ अभिलेख में विवादित भूमि के संबंध में अनावेदिका कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यवहार वाद की प्रतियां संलग्न हैं, व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदिका क0 2 द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद निरस्त किए गए हैं और उनमें अनावेदिका कमांक 2 के विरूद्ध विपरीत टिप्पणियां की गई हैं और आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विधिवत कय किया जाना मान्य किया गया है । व्यवहार न्यायालय के आदेशों को अपील में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पुष्ट किया गया है । अपर आयुक्त के अभिलेख में अनावेदिका कमांक 2 द्वारा आवेदक द्वारा कय की गई प्रश्नाधीन भूमि के विकयपत्र को शून्य घोषित करने के संबंध में प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 3ए/2008 में पारित आदेश दिनांक 25–6–08 की प्रति भी संलग्न है, इस प्रकरण में आवेदक के अतिरिक्त म0प्र0 शासन भी पक्षकार है । अपने निर्णय में विद्वान न्यायाधीश द्वारा अनावेदिका क. 2 द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद को प्रचलन योग्य न मानते हुए तथा पूर्व के व्यवहार वाद में पारित निर्णयों को रेसज्यूडीकेटा का प्रभाव रखने के कारण निरस्त किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील कमांक 21ए/08 को जिला न्यायाधीश, छतरपुर द्वारा आदेश दिनांक 3–8–2009 द्वारा निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा व्यवहार न्यायालयों के उक्त निर्णयों का उल्लेख तो अपने आदेश में किया है किंतु उनके संबंध में किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं की है उक्त निर्णय क्योंकर मान्य किए जाने योग्य नहीं है इसका भी कोई कारण आदेश में नहीं दिया गया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.9.13 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–09 निरस्त किए जाते हैं । प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–07 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए तथा व्यवहार न्यायालयों के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए

नये सिरे से 4 सदस्यीय टीम बनाकर सर्वे नंबर 1731/1 एवं 1731/6 की भूमियों का पुनः सीमांकन संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में करायें तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

(मनोज गोयल,)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर